

२१

28/06/22

पाकी के द्वारा अस्वाइ निषेधाज्ञा
प्रापक सं. ३७/२०२१ उमवानी
लालचन्द न/ड डीपचन्द आडि
को आगोन प्लाकर आज
अध्यालय से विज्ञा कर लिमा
है। इसलिए अस्वाइ निषेधाज्ञा

२१/०६/२०२२



तारीख
हुकम

ग्राहक के अभाव में दस्तावेज ग्राहक
पत्र भागो चलने प्रोबन्ध नहीं है।
कल: दस्तावेज ग्राहक द्वारा रिजक्ति
जाता है। पत्रावली दुर्ज मन्वर से
कम होकर ग्राहक सं. 97/2021
उनवारी लाल चन्द vs दीप चन्द कांड
के संलग्न रहे।

JV

उपस्थित अधिकारी, खेतवाड़ी